Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में लूट की घटना कारित करने के आरोपी खलील व शोएब उर्फ भोंदा को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष 05 माह का कारावास व 2,000 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2020 में अभियुक्त 1-खलील पुत्र नफैदीन व 2-शोएब उर्फ भोंदा पुत्र सलीम निवासी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 253/20 धारा 394/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 15.04.2024 को मा0 न्यायालय जिला जज एफटीसी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त खलील व शोएब उर्फ भोंदा को दोषी पाते हुए 03 वर्ष 05 माह के कारावास व 2,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

एनडीपीएस एक्ट के आरोपी संदीप उर्फ कालू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 06 माह का कारावास व 20,000 रूपये अर्थदण्ड की सजा।

अवगत कराना है कि अभियुक्त संदीप उर्फ कालू पुत्र सुरेश निवासीगण बड़ा गांव खेकड़ा थाना खेकड़ा जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2020 में अवैध मादक पदार्थ तस्करी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0-301/2020 धारा 8/20 एडीपीएस एक्ट पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 15.04.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी 02 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त संदीप उर्फ कालू को दोषी पाते हुए 06 माह के कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है। बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police baghpatpolice @baghpatpolice

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी   दिनाँक 15.04.2024

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 59/24 धारा 365 भादवि से संबंधित अपहर्ता/गुमशुदा को अथक प्रयास के बाद सकुशल किया बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 59/24 धारा 365 भादवि से सम्बन्धित अपहर्ता/गुमशुदा को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया है।

परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री फूल सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2-म0का0 488 वर्षा थाना बालैनी जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना खेकडा **दिनाँक 15.04.2024**

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचनाः- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

चांद पुत्र इरफान निवासी कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 205/2021 धारा 188 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 420/2017 धारा 323/324 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0 539/2018 धारा 147/323/336/427/504/506 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।

4-मु0अ0सं0 112/2024 धारा 3/25 ए एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री मुकेश कुमार थाना खेकडा।

2-है0का0 53 रविन्द्र कुमार थाना खेकडा।

3-का0 701 शोकिन्द्र कुमार थाना खेकडा।

प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर **दिनाँक 15.04.2024**

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध पिस्टल .32 बोर मय 02 जिंदा कारतूस .32 बोर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर द्वारा चैंकिग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल .32 बोर मय 02 जिंदा कारतूस .32 बोर बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 126/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचनाः- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जौनी पुत्र वीरेन्द्र निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध पिस्टल .32 बोर मय 02 जिंदा कारतूस .32 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री ब्रजेश पौनिया थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-है0का0 223 सचिन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3-है0का0 439 कुलदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर **दिनाँक 15.04.2024**

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 37 पव्वे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 01 अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 37 पव्वे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 125/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अशोक पुत्र भीमसैन निवासी ग्राव व थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 37 पव्वे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कपिल कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-है0का0 456 मनोज शर्मा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3-का0 399 राहुल चौहान थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

4-का0 594 सरफराज खाँन थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।